

नाम न्यायालय - SDO जाला

केस संख्या 384/2016

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
आज्ञा विस्तृत रूप से

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा सा कार्यवाही	विशेष विवरण
	21/5/18	<p>आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वारा अभियान 2018 राजस्व कैम्प कोर्ट निशोद में पेश हुई, पक्षकारान को विधिवत नोटिसा तागिल हो चुके है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाना होता है। उनवानी प्रकरण में अदालत के दृष्टिकोण में मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वह वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1578, 1602, 1603, 1604, 1704, 1705, 1707, 1708, 1712, 1713, 1716, 1722, 1730, 1736, 1861, 1866, 1889, 1890, 1905, 1913, 1937, 1939, 2177, 2181, 2183, 2752, 2871, 2874, 2876, 3110, 3113, 3114, 3117</p> <p>कुल रकबा 52.12 बीघा के ग्राम निशोद तहसील जिला जयपुर स्थित आराजी की मौके की यथास्थिति बनाये रखें। एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>